दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 05 मार्च, 2024

आप.वि.वा. 326/2024

नईम ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री संजय सिंह और श्री हरिओम गोयल, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री संजीव भंडारी, स.स्था.अधि. (आप.) सहित श्री कुणाल मित्तल, सुश्री अन्विता भंडारी, और श्री अरिजीत शर्मा, अधिवक्तागण सहित निरीक्षक रवि कुमार, नारकोटिक्स सेल/ओएनडी।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अनूप कुमार मेंदीरत्ता</u>

1. इस याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 482 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की ओर से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21/29 के अंतर्गत पु.स्टे.:नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दर्ज की गई प्राथमिकी सं.0753/2022

में जमानत राशि को प्रत्येक 1 लाख रुपये की दो जमानत राशि से घटाकर 1 लाख रुपये की एक जमानत राशि करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता को विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस (उत्तर), रोहिणी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27.07.2023 के आदेश के अंतर्गत 1 लाख रुपये की राशि के निजी बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि प्रस्तुत करने पर जमानत दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से एक-एक लाख रुपये की दो जमानत को घटाकर एक लाख रुपये की एक जमानत करने के लिए दायर एक आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.09.2023 के आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया था।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23.08.2023 को निर्णीत जमानत आवे.44/2023 ***परगन राम उर्फ़ निक्का बनाम राज्य*** में आप.वि.आ. 22603/2023 का उल्लेख करने के बाद, जमानत राशि में कमी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त मामले में जमानत की संख्या में कमी को ***उच्चतम न्यायालय विधि सहायता समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व) बनाम भारत संघ***, **(1994) 6 एससीसी 731** पर भरोसा करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, जैसा कि पैरा 3 में अवलोकन किया गया है: -

> *"3.* याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता 1,00,000/- रुपये की राशि में दो जमानत की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है और इसलिए जमानत राशि

> कम की जाए। यद्यपि, जमानत की शर्तें "विचाराधीन कैदियों बनाम भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली उच्चतम न्यायालय विधि सहायता समिति" (1994) 6 एससीसी 731 में शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार अधिरोपित की गई थीं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:
>
> *"15...* इसलिए, हम निम्नानुसार निर्दिष्ट करते हैं*: ....*
>
> *(iii)* जहां विचाराधीन अभियुक्त पर अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम दस वर्ष के कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है, ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत पर उन्मोचित कर दिया जाएगा यदि वह कम से कम पांच वर्ष तक जेल में रहा हो, बशर्ते कि वह एक लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर जमानत दे।"

विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से आगे अभिनिर्धारित किया है कि चूँकि इस मामले में जमानत की शर्तें उच्चतम न्यायालय विधि सहायता समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व) बनाम भारत संघ और अन्य (पूर्वोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अधिरोपित की गई थीं, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता एक विनम्र पृष्ठभूमि से है और याचिकाकर्ता के भाई और पिता की मृत्यु दिनांक

10.04.2023 और 24.02.2023 को हो गई, जिससे परिवार में उपार्जन के सभी साधन बंद हो गए और इस प्रकार प्रत्येक एक लाख रु. की दो जमानत की व्यवस्था करने की कोई संभावना नहीं है। आगे यह आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता मामले के गुणागुण के आधार पर अपने पक्ष में जमानत देने के आदेश के बावजूद सात महीने से अधिक की अवधि के लिए जमानत का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। तदनुसार प्रार्थना की जाती है कि ज़मानत की संख्या को घटाकर एक कर दिया जाए। आगे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2022 को निर्णीत ***जमानत आ. 1960/2020 में फरिराइ ज़िसो बनाम एनसीबी*** मामले और दिनांक 31.01.2023 को ***स्वप्रेरणा से रि.या.(आपराधिक) सं. 4/2021*** में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर भरोसा किया गया है।

5. राज्य के विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (आप.) श्री संजीव भंडारी ने ज़मानत राशि कम करने के आवेदन का निष्पक्ष रूप से विरोध नहीं किया। आगे यह आग्रह किया जाता है कि जमानत राशि आम तौर पर अभियुक्त की सामाजिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए और दुर्भर नहीं होनी चाहिए। आगे इनका संदर्भ दिया गया है ***विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च न्यायालय विधि सहायता समिति बनाम भारत संघ व अन्य"; (1994) 6 एससीसी 731; एबेरा नवानाफोरो बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल***

1674; जीवन मंडल बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 3; उबाह काश्मिर अमोबी बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 4511; बिनोद कुमार @ बिनोद कुमार भगत बनाम बिहार राज्य, (2018) 14 एससीसी 199; नरोत्तम प्रधान बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), (2019) एससीसी ऑनलाइन डेल 6547; राहुल गुप्ता बनाम राज्य, (2019) एससीसी ऑनलाइन डेल 9042; राजेश शर्मा बनाम राजस्व आसूचना निदेशालय, (2018) एससीसी ऑनलाइन डेल 12372 और राम नारायण बनाम राज्य, (2005) एससीसी ऑनलाइन डेल 626।

6. प्रारंभ में, यह देखा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय विधि सहायता समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व) बनाम भारत संघ व अन्य (पूर्वोक्त) मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश जारी किए गए थे जो लंबे समय तक लंबित विचारण में कैद थे, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों को जमानत देने के प्रश्न पर विचार करते समय, यह अवलोकन किया गया कि यद्यपि ऐसे मामलों में कुछ हद तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होने से बचा नहीं जा सकता है, किंतु यदि लंबित विचारण की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित निष्पक्षता को आघात पहुंचेगा। आगे यह अभिनिर्धारित किया

गया कि अभियुक्त व्यक्ति को कारावास की सजा भुगतने के बाद, जो अपराध के लिए प्रदान की गई अधिकतम सजा की आधी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई भी और हनन अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तदनुसार, निर्देश जारी किए गए थे कि जहां विचाराधीन आरोपी पर एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया है, जिसमें न्यूनतम दस वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना है, ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि वह कम से कम पांच वर्ष तक जेल में रहा हो, बशर्ते कि वह एक लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा करे।

7. यह ध्यान रखना उचित है कि उपरोक्त निर्देशों का उद्देश्य एक बार के उपाय के रूप में कार्य करना था और इसका आशय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत जमानत देने की विशेष न्यायालय की शक्ति में हस्तक्षेप करना नहीं था। इसके अलावा, न्यायालयों को लंबित मामलों के निपटान में अत्यधिक विलंब की शिकायत को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। उच्चतम न्यायालय विधि सहायता समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व) बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त) मामले में पैरा 16 में अवलोकनों को लाभप्रद रूप से उद्धृत किया जा सकता है:

> *"**16.** हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त का आशय उन मामलों के लिए एक बार के निर्देशों के रूप में काम करना है जिनमें अभियुक्त व्यक्ति जेल में हैं और उनके विचारण में*

विलंब हो रहा है। उनका आशय अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत जमानत देने की विशेष न्यायालय की शक्ति में हस्तक्षेप करने का नहीं है। विशेष न्यायालय लंबित मामलों के निपटान में अत्यधिक विलंब की शिकायत को ध्यान में रखते हुए उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। विशेष न्यायालय, निर्देशों के बावजूद, जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि अभियुक्त इसका दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है और जमानत रद्द करने का आधार मौजूद है। अंत में, हम इस आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई के मामले में आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं।

8. आगे यह अवलोकन किया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 440 में उपबंधित है कि इस अध्याय के अंतर्गत निष्पादित प्रत्येक बांड की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। इसके अलावा, दं.प्र.सं. की धारा 440 की उपधारा 2 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को यह निर्देश देने का अधिकार प्रदान करती है कि पुलिस अधिकारी या दंडाधिकारी द्वारा अपेक्षित जमानत को कम किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जमानत की शर्तें अभियुक्त द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए दुर्भर या असंभव नहीं हो जाती हैं और जमानत देने के उद्देश्य को पराजित करती हैं, यदि अभियुक्त लंबे समय तक ज़मानत बांड प्रस्तुत करने और जमानत का लाभ उठाने में असमर्थ है। जमानत की राशि आम तौर पर

अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, वित्तीय संसाधनों और अभियुक्त के अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, जिसका उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति को उचित रूप से सुनिश्चित करना है। इस संबंध में ***हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य***, **(1980) 1 एससीसी 81** और ***मोती राम बनाम एमपी राज्य,*** **(1978) 4 एससीसी 47** पर भरोसा किया जा सकता है।

9. ***सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य***, **(2022) 10 एससीसी 51** में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने का काम करें जो जमानत की शर्तों का पालन करने में असमर्थ हैं और रिहाई की सुविधा के लिए दं.प्र.सं. की धारा 440 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करें। यह भी देखा गया कि जमानत पर जोर देते समय दं.प्र.सं. की धारा 440 के आदेश को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

10. इसके अलावा, जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण अभियुक्तों/विचाराधीन कैदियों की रिहाई न होने की समस्या को सुधारने की दृष्टि से, दिनांक 31.01.2023 को ***स्वप्रेरणा से रि.या.(आप.) सं.4/2021*** में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को लाभप्रद रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

"समस्याओं को सुधारने की दृष्टि से कई दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। हमने उन निर्देशों का परीक्षण किया है जिन्हें हम कुछ संशोधनों के साथ आगे पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं:

1) जो न्यायालय किसी विचाराधीन कैदी/दोषी को जमानत देता है, उसे उसी दिन या अगले दिन जेल अधीक्षक के माध्यम से कैदी को जमानत आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी ई-मेल से भेजनी होगी। जेल अधीक्षक को ई-प्रिज़न सॉफ़्टवेयर [या जेल 10 विभाग द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी अन्य सॉफ़्टवेयर] में जमानत देने की तिथि दर्ज करनी होगी।

2) यदि अभियुक्त को जमानत देने की तिथि से 7 दिनों की अवधि के भीतर रिहा नहीं किया जाता है, तो जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह सचिव, डीएलएसए को सूचित करे, जो पैरा विधि स्वयंसेवक या जेल विजिटिंग अधिवक्ता को कैदी के साथ बातचीत करने और उसकी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

3) एनआईसी ईप्रिजन सॉफ्टवेयर में आवश्यक फ़ील्ड बनाने का प्रयास करेगा ताकि जमानत देने की तिथि और रिहाई की तिथि जेल विभाग द्वारा दर्ज की जाए और यदि कैदी को 7 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता है, तो सचिव, डीएलएसए को एक स्वचालित ईमेल भेजा जा सकता है।

4) सचिव, डीएलएसए अभियुक्त की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से, कैदी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए परिवीक्षा अधिकारियों या पैरा विधि स्वयंसेवकों की मदद ले सकता है, जिसे जमानत/ज़मानत की शर्त (शर्तों) में ढील देने के

अनुरोध के साथ संबंधित न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है।

5) ऐसे मामलों में जहां विचाराधीन कैदी या दोषी यह अनुरोध करता है कि वह रिहा होने के बाद जमानत बांड या जमानत प्रस्तुत कर सकता है, तो एक उपयुक्त मामले में, न्यायालय अभियुक्त को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकता है ताकि वह जमानत बांड या जमानत प्रस्तुत कर सके।

6) यदि जमानत की तिथि से एक महीने के भीतर जमानत बांड प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित न्यायालय मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकता है और विचार कर सकता है कि क्या जमानत की शर्तों में उपांतरण/छूट की आवश्यकता है।

7) अभियुक्त/दोषी की रिहाई में विलंब का एक कारण स्थानीय ज़मानत पर जोर देना है। यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे मामलों में, न्यायालय स्थानीय ज़मानत की शर्त अधिरोपित नहीं कर सकते हैं।

हम आदेश देते हैं कि उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

11. तत्काल मामले पर वापस लौटते हुए, ***परगन राम उर्फ निक्का बनाम राज्य*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत बांड को कम करने का प्रत्याख्यान करना अनुपयुक्त है, क्योंकि उपरोक्त मामले में दिनांक 10.03.2018 से लंबे समय तक कैद को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया था।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को लंबे समय तक कारावास के कारण नहीं किंतु गुणागुण के आधार पर मामले पर विचार करने के बाद जमानत दी गई थी। याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2023 को पारित आदेश के बावजूद जमानत का लाभ नहीं उठा सका है और अभी भी अभिरक्षा में है। ***उच्चतम न्यायालय विधि सेवा समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व) बनाम भारत संघ व अन्य*** (पूर्वोक्त) में पैरा 16 में माननीय शीर्ष न्यायालय के अवलोकनों में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उद्देश्य एक बार के उपाय के रूप में काम करना है और यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत जमानत देने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस प्रकार, जिसमें न्यायालय अभियुक्त को गुणागुण के आधार पर जमानत पर रिहा करने की शक्ति का प्रयोग करता है और यदि परिस्थितियाँ उचित हों, तो ज़मानत बांड को उचित रूप से कम किया जा सकता है।

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि ज़मानत बांड/व्यक्तिगत बांड को कम किया जाए और याचिकाकर्ता को तदनुसार जमानत हेतु स्वीकृत किया जाए, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से 1 लाख रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करने की शर्त पर प्रार्थना की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2023 के आदेश के अंतर्गत

अधिरोपित शेष नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। तदनुसार याचिका का निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाए और साथ ही सूचना हेतु जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को भी परिचालित की जाए।

(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)
न्यायाधीश

05 मार्च 2024*/एसडी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*